Email:- dsofood-ajmr-rj@nic.in

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर(रसद), अजमेर

क्रमांकः— रसद—02/एफपीएस/वकेंसी/2025/ दिनांकः—

विज्ञप्ति

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर, राजस्थान द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु जारी दिशा—निर्देश पत्र क्रमांक एफ.17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर, दिनांक 17.03.2016 एवं उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने के संबंध में जारी पत्र क्रमांक एफ.17(5) खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 जयपुर, दिनांक 25.11.2020 की पालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने बाबत कार्यालय जिला रसद अधिकारी(द्वितीय), अजमेर की रिक्त/नवसृजित कुल 83 उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/संस्थाओं (सहकारी समितियां, महिला स्वयं सहायता समूह आदि) से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार हैः—

क.स.	तहसील/ नगरपालिका/ नगरपरिषद	क्र.सं.	उचित मूल्य दुकान का प्रस्तावित स्थान	ग्राम पंचायत	रिक्त/ नवसृजित	रिक्त उचित मूल्य दुकान कोड	आरक्षण की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पीसांगन	1	नुरियावास	बुधवाडा	रिक्त	2277	अनारक्षित
2		2	पीसांगन	पीसांगन	रिक्त	2310	अनारक्षित
3		3	गोविन्दगढ	गोविन्दगढ	रिक्त	2345	अनारक्षित
4		4	ब्रिकचियावास	ब्रिकचियावास	रिक्त	31107	अनारक्षित
5		5	अमरगढ़	लामाना	रिक्त	7603	अनारक्षित
6		6	नागेलाव	नागेलाव	रिक्त	2341	अनारक्षित
7		7	हरिपुरा	बुधवाडा	रिक्त	15759	अनारक्षित
8		8	धुवाड़िया	करनोस	नवसृजित	—	अनारक्षित
9		9	रामनगर	पगारा	नवसृजित	—	अनारक्षित
10		10	कैसरपुरा मेवाड़िया	कैसरपुरा मेवाड़िया	नवसृजित	—	महिला आरक्षित
11		11	पाबुथान	लीड़ी	नवसृजित	—	अनारक्षित
12		12	पीसांगन (वार्ड संख्या 1 से 5)	पीसांगन	नवसृजित	—	महिला आरक्षित
13		13	पीसांगन (वार्ड संख्या 21 से 25)	पीसांगन	नवसृजित	[illegible]	महिला आरक्षित
14	भिनाय	1	बडली	बडली	रिक्त	1566[illegible]	अनारक्षित

RajKaj Ref No.: 17095470
eSign 1.0
Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.14 18:56:47 IST
Reason: Approved

15		2	बडली	बडली	रिक्त	2021	अनारक्षित
16		3	देवलिया कलां	देवलिया कलां	रिक्त	15666	महिला आरक्षित
17		4	राममालिया	राममालिया	रिक्त	7561	महिला आरक्षित
18		5	कुम्हारिया	कुम्हारिया	रिक्त	2027	महिला आरक्षित
19		6	भिनाय	भिनाय	रिक्त	2037	महिला आरक्षित
20		7	चावन्डिया	सोबड़ी	नवसृजित	—	अनारक्षित
21		8	देवपुरा	देवपुरा	नवसृजित	—	अनारक्षित
22		9	केरियाखुर्द	बड़गांव	नवसृजित	—	अनारक्षित
23	सरवाड़	1	अरवड़	अरवड़	रिक्त	15664	महिला आरक्षित
24		2	शेरगढ़	शेरगढ़	रिक्त	7565	अनारक्षित
25		3	खीरिया	खीरिया	रिक्त	15690	महिला आरक्षित
26		4	सुनारिया	सुनारिया	नवसृजित	—	अनारक्षित
27		5	गोपालपुरा	गोपालपुरा	नवसृजित	—	अनारक्षित
28		6	मदनपुरा	लल्लाई	नवसृजित	—	अनारक्षित
29		7	भाटोलाव	भाटोलाव	नवसृजित	—	अनारक्षित
30		8	ताजपुरा	ताजपुरा	नवसृजित	—	अनारक्षित
31		9	डबरेला	डबरेला	नवसृजित	—	अनारक्षित
32	टांटोटी	1	टांटोटी	टांटोटी	रिक्त	2067	अनारक्षित
33		2	कल्याणपुरा	कल्याणपुरा	रिक्त	15688	अनारक्षित
34		3	मोतीपुरा	केबानिया	रिक्त	2031	महिला आरक्षित
35		4	जावला	चांदमा	रिक्त	2070	अनारक्षित
36		5	शोकलिया	शोकलिया	रिक्त	2014	अनारक्षित
37	केकड़ी	1	वार्ड संख्या 9 (नया)	नगरपालिका केकड़ी	रिक्त	315	महिला आरक्षित
38		2	तसवारिया	सलारी	रिक्त	2192	अनारक्षित
39		3	भीमडावास	भीमडावास	रिक्त	2180	अनारक्षित
40		4	देवगांव	देवगांव	रिक्त	2193	महिला आरक्षित
41		5	बघेरा	बघेरा	रिक्त	2160	अनारक्षित
42		6	बघेरा	बघेरा	रिक्त	[illegible]	महिला आरक्षित
43		7	मेवदाकलां	मेवदाकलां	[illegible]	[illegible]	अनारक्षित

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.14 18:56:47 IST
Reason: Approved

44		8	निमोद	निमोद	नवसृजित	—	अनारक्षित
45	सावर	1	घटियाली	घटियाली	रिक्त	2155	अनारक्षित
46		2	घटियाली	घटियाली	रिक्त	2156	अनारक्षित
47		3	प्रतापपुरा	चितिवास	रिक्त	15121	महिला आरक्षित
48		4	सावर	सावर	रिक्त	2188	महिला आरक्षित
49		5	सावर	सावर	रिक्त	2190	अनारक्षित
50		6	सदारा	सदारा	रिक्त	2191	अनारक्षित
51		7	बाढ़ का झोपड़ा	बाढ़ का झोपड़ा	नवसृजित	—	अनारक्षित
52	नसीराबाद	1	वार्ड संख्या 6(पुराना 5)	वार्ड संख्या 6 (पुराना 5)	रिक्त	26512	महिला आरक्षित
53		2	साम्प्रोदा	साम्प्रोदा	रिक्त	2442	महिला आरक्षित
54		3	भवानीखेडा प्रथम	भवानीखेडा	रिक्त	2302	अनारक्षित
55		4	मावशिया	मावशिया	रिक्त	15778	अनारक्षित
56		5	बिठूर प्रथम	बिठूर	रिक्त	2290	महिला आरक्षित
57		6	राजगढ प्रथम	राजगढ	रिक्त	2317	अनारक्षित
58		7	श्रीनगर	श्रीनगर	रिक्त	7622	महिला आरक्षित
59		8	तिहारी	तिहारी	रिक्त	2429	महिला आरक्षित
60		9	बाघसूरी	बाघसूरी	रिक्त	2271	अनारक्षित
61		10	लोहरवाडा	लोहरवाडा	रिक्त	2470	अनारक्षित
62		11	चैनपुरा	राजगढ	रिक्त	2321	अनारक्षित
63		12	बिठूर द्वितीय	बिठूर	नवसृजित	—	अनारक्षित
64		13	बेवंजा	दिलवाडा	नवसृजित	—	महिला आरक्षित
65		14	नांदला द्वितीय	नांदला	नवसृजित	—	महिला आरक्षित
66		15	मोतीपुरा	झडवासा	नवसृजित	—	अनारक्षित
67	रूपनगढ़	1	सिनोदिया	सिनोदिया	रिक्त	2376	अनारक्षित
68		2	रामनगर	पनेर	नवसृजित	—	अनारक्षित
69		3	रूपनगढ पंचम	रूपनगढ	नवसृजित	—	अनारक्षित
70	अराई	1	देवपूरी	देवपूरी	रिक्त	27115	अनारक्षित
71		2	जोरावरपुरा	गोठियाना	नवसृजित	—	अनारक्षित
72		3	सील	सान्दोलिया	नवसृजित	—	महिला आरक्षित
73	किशनगढ़	1	उदयपुर खुर्द	सिलोरा	रिक्त	14624	महिला आरक्षित
74		2	रारी बीती	सरगांव	रिक्त	[illegible]	अनारक्षित

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.14 18:56:47 IST
Reason: Approved

75	3	नोनन्दपुरा	निम्बार्कतीर्थ	रिक्त	14660	अनारक्षित
76	4	पाटन	पाटन	रिक्त	14626	अनारक्षित
77	5	टिहरी	डींडवाडा	रिक्त	14628	अनारक्षित
78	6	नोहरिया	नलू	रिक्त	14633	अनारक्षित
79	7	मुण्डोती	नलू	रिक्त	2409	अनारक्षित
80	8	सरगांव द्वितीय	सरगांव	नवसृजित	—	अनारक्षित
81	9	पाटन द्वितीय	पाटन	नवसृजित	—	अनारक्षित
82	10	फलौदा	तिलोनिया	नवसृजित	—	अनारक्षित
83	11	कुचील	कुचील	नवसृजित	—	महिला आरक्षित

<u>उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएँः–</u>

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करना है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड्स में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए।

   ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य की दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जाएगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है।

   उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की **आयु 21 से 45** वर्ष होनी चाहिए अर्थात उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

2. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में **Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL)** या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यदि उचित मूल्य की दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा भी ली जाएगी कि वह चयनित होने के 06 माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार–पत्र दिया जावेगा।

3. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डो को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा–स्वामित्व–किरायानामा आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जो आवे[illegible] के समय अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण नहीं करते है उन्हें 06 मा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.14 18:56:47 IST
Reason: Approved

ोषणा–पत्र प्रस्तुत करना होगा। विशेष परिस्थितियों में ही मापदण्ड पूर्णता अवधि राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा अधिकतम 6 माह बढ़ायी जा सकेगी। यदि घोषणा–पत्र के अनुसार प्राधिकृत होने पर मापदण्ड पूर्ण नहीं किए जाते हैं तो प्राधिकार–पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

4. **उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित 02 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात 02 से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव के एक से अधिक संताने पैदा हो जाती है तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई की समझा जावेगा।**
5. राज्य सरकार द्वारा टीएसपी क्षेत्र हेतु 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति 05 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति एवं 50 प्रतिशत स्थान अनारक्षित रखे जाने का प्रावधान रखे गये हैं। आरक्षित उचित मूल्य दुकानों के लिए संबंधित श्रेणी का आवेदक ही आवेदन हेतु पात्र होगा।
6. प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी(महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय (Functional Toilet) है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य अर्हता होगी।

- <u>आवेदन का तरीका</u> :–

1. आवेदन पत्र दिनांक **18.08.2025 से 04.09.2025** तक कार्यालय समय में जिला रसद कार्यालय अजमेर (स्थानः– जिला परिषद के पास डाक बंगला, अजमेर) से प्राप्त किए जा सकेंगे एवं भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक **12.09.2025 को सायं 05.00** बजे तक जिला रसद कार्यालय, अजमेर में प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
2. आवेदन पत्र का मूल्य 100 रूपये निर्धारित किया गया है जो भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) के द्वारा जमा करवाया जा सकेगा। किसी अन्य स्थान यथा टाइपिस्ट, नोटरी, बुक स्टॉल से प्राप्त किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नही किए जावेंगे।

- <u>आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज</u> :–

01. शैक्षणिक योग्यता(स्नातक) संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।
02. आरकेसीएल (आरएस–सीआईटी) कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र। उक्त प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि दुकान आवंटन होने के अधिकतम 06 माह के भीतर आरकेसीएल (आरएस–सीआईटी) का 03 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
03. आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/निकाय होने की स्थिति में उनके प्रबंधक/सचिव की कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करने होगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.14 18:56:47 IST
Reason: Approved

04. आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड की अभिशंषा का पत्र प्रस्तुत करना होगा।

05. निजी आवेदकों के लिए 01 लाख रूपये का हैसियत प्रमाण–पत्र जो संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी किया जायेगा।

06. महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25 हजार रूपये होने संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रति।

07. प्रस्तावित दुकान का नक्शा दो प्रतियों में उपलब्ध करवाना होगा जो संबंधित क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा संवीक्षा के समय प्रमाणित किया जावेगा।

08. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणा पत्र दिया जावेगाः–

   a. आवेदक पूर्व में आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट के तहत दण्डित नहीं हुआ है।
   b. आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
   c. आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा, माता–पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं हैं।
   d. आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
   e. आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित है, चाल–चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
   f. आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।

09. मूल निवास प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।

10. जाति प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।

11. आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति।

12. राशनकार्ड की प्रमाणित प्रति।

13. मतदाता परिचय पत्र की प्रमाणित प्रति।

14. पासपोट साईज के 03 नवीनतम रंगीन फोटो जिनमें से एक आवेदन पत्र पर चस्पा किया जायेगा एवं दो संलग्न किये जायेगें।

- **चयन प्रकिया एवं प्राथमिकता** :–

आरक्षित स्थानों के लिए संबंधित श्रेणी का आवेदक ही पात्र होगा। अनारक्षित स्थानों में चयन करने मे प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगाः–

(क) **प्रथम वरीयता** (संस्थागत) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में आधार पर चयन किया जायेगाः–

1. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस(वृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है।
2. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को 03 वर्ष का कार्यानुभव हो।
3. ग्राम पंचायत /निगमित निकाय।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.14 18:56:47 IST
Reason: Approved

नोटः– यदि क्रम संख्या 1, 2 एवं 3 के अन्तर्गत एक ही आवेदन प्राप्त होता है तो उसे प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकेगा। इस श्रेणी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होनें पर ही आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

(ख) **द्वितीय वरीयता** व्यक्तिगत (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर)

1. बेरोजगार
2. निःशक्तजन
3. महिलायें

   (क) शहीद की विधवा (वीरांगना) (ख) विधवा (ग) परित्यक्ता
4. भूतपूर्व सैनिक
5. अन्य पात्र बेरोजगार

- उपरोक्त रिक्तियों के संबंध मे विभागीय पत्र क्रमांक एफ 17 (1) खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा–निर्देश एवं उचित मूल्य दुकानांक की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने संबंधी पत्र दिनांक 25.11.2020 मे वर्णित चयन प्रकिया अनुसार कार्यवाही की जानी है। दिनांक 17.03.2016 के दिशा–निर्देश, दिनांक 25.11.2020 के पत्र तथा रिक्त उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला रसद कार्यालय अजमेर और विभागीय वैंबसाइट **www.food.rajasthan.gov.in** एवं जिले की वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है।
- उक्त रिक्तियों में कमी/वृद्वि/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/नहीं भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय सुरक्षित रहेगा।
- **पूर्व विज्ञप्ति दिनांक 20.01.2023 के अनुसरण मे जिन आवेदकों द्वारा विज्ञप्ति में क्रम संख्या 1 से 51 तक अंकित रिक्ति हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत किया जा चका है वे नवीन आवेदन प्रस्तुत ना करे।**

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर(रसद)
अजमेर

क्रमांक :– रसद/एफपीएस/2025/ दिनांक :–

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. माननीय सांसद महोदय, संसदीय क्षेत्र अजमेर।
2. माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र केकड़ी, ब्यावर, मसूदा, नसीराबाद।
3. श्रीमान अति0 मुख्य सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्त्ति विभाग जयपुर।
4. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्त्ति विभाग जयपुर।
5. श्रीमान उपायुक्त एवं उपशासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्त्ति विभाग जयपुर।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर www.food.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
7. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी अजमेर को अजमेर के स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
8. प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक कार्यालय हाजा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.14 18:56:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17095470

eSign 1.0

9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट अजमेर,/उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, सरवाड़, सावर, भिनाय, पीसांगन, नगरपालिका केकड़ी, सरवाड़, तहसील केकड़ी, सावर, सरवाड़, भिनाय, पीसांगन, पंचायत समिति केकड़ी, सरवाड, सावर, भिनाय, पीसांगन, जवाजा/जिला रसद कार्यालय, अजमेर।

10. रक्षित पत्रावली।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर(रसद)
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.14 18:56:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17095470

eSign 1.0